प्रैस रिलीज

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय

नई दिल्ली

08 अगस्त,2022

तटीय पारितंत्रो के संरक्षण पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन संसद में प्रस्तुत

तटीय पारितंत्रो के संरक्षण पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन संख्या 4 (संघ सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय) को आज संसद में प्रस्तुत किया गया। भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के इस प्रतिवेदन में 2015-20 की अवधि के लिए तटीय पारितंत्रों के संरक्षण पर निष्पादन लेखापरीक्षा की टिप्पणियां शामिल हैं। साथ ही वे मामले जो पूर्व के वर्षों में पाए गए थे परंतु पिछले लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में प्रस्तुत नहीं किए जा सके थे; जहां आवश्यक था, वहां 2019-20 के बाद की अवधि से संबंधित मामलों को भी प्रतिवेदन में शामिल किया गया है।

सरकार ने तटीय क्षेत्र में गतिविधियों को विनियमित करने के लिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत अधिसूचना जारी की जिससे तटीय पर्यावरण को विभिन्न मानवजनित गतिविधियों से बचाया जा सके। तटीय विनियमन क्षेत्र अधिसूचना (सी.आर.जेड.) 2019, जिसने 1991 और 2011 की अधिसूचनाओं को प्रतिस्थापित किया था, जिसे एम.ओ.ई.एफ. एवं सी.सी. द्वारा लागू किया गया था, जिसका उद्देश्य तटीय क्षेत्र को विभिन्न क्षेत्रों में वर्गीकृत करना और एकीकृत तरीके से गतिविधियों का प्रबंधन करना है। तटीय क्षेत्र प्रबंधन में जोखिमों को समझने के लिए किए गए पूर्व-लेखा परीक्षा अध्ययनों से पता चला है कि तटीय क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर सी.आर.जेड. के दिशा निर्देशों का उल्लंघन हुआ था। विभिन्न डाटा स्रोतों से अवैध निर्माण गतिविधियों की घटनाएं (तटीय क्षेत्र का संकुचन होना), स्थानीय निकायों, उद्योगों और जलीय कृषि फार्मों से अपशिष्ट निर्वहन के मामले दर्ज किए गए हैं।

तदनुसार, हमने निम्नलिखित उद्देश्यों के तहत 'तटीय पारितंत्रों के संरक्षण' पर एक निष्पादन लेखापरीक्षा करने का निर्णय लियाः

1. यह जांच करना कि सी.आर.जेड. अधिसूचना 2019 के प्रावधानों के तहत सी.आर.जेड. क्षेत्रों में गतिविधियों को विनियमित करने के लिए केंद्र और राज्य में संस्थागत तंत्र मौजूद है अथवा नहीं।
2. यह जांच करना कि तटीय पारिस्थितिकी के संरक्षण हेतु क्या सरकार द्वारा दी गई सी.आर.जेड. अनुमोदन उचित प्रक्रिया के अनुसार है।
3. क्या अनुमोदन के बाद की निगरानी के साथ-साथ सी.आर.जेड. विनियमों को लागू करने से तटीय पारितंत्र की सुरक्षा हुई है।
4. यह जांच करना कि क्या एकीकृत तटीय क्षेत्र प्रबंधन कार्यक्रम (आई.सी.जेड.एम.पी.) के तहत परियोजना विकास के उद्देश्य सफल रहे।
5. एस.डी.जी.-14 के तहत लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का मूल्यांकन करना।

प्रमुख लेखापरीक्षा निष्कर्ष

संस्थागत रूपरेखा

सी.आर.जेड. अधिसूचना के क्रियान्वयन हेतु तीन निकाय जिम्मेदार हैः i) केंद्र में राष्ट्रीय तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण (एन.सी.जेड.एम.ए.) ii) प्रत्येक तटीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में राज्य/केंद्र शासित प्रदेश तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण (एस.सी.जेड.एम.ए./ यू.टी.सी.जेड.एम.ए.) iii) प्रत्येक जिले में जिला स्तरीय समितियां (डी.एल.सी.) जिनमें तटीय क्षेत्र है और जहां सी.आर.जेड. अधिसूचना लागू है। हमने देखा कि एम.ओ.ई.एफ. एवं सी.सी. ने एन.सी.जेड.एम.ए. को एक स्थायी निकाय के रूप में अधिसूचित नहीं किया है और इसे हर कुछ वर्षों में पुनर्गठित किया जाता है और परिभाषित सदस्यता के अभाव में, यह तदर्थ निकाय के रूप में कार्य कर रहा था। इसके अलावा, एन.सी.जेड.एम.ए. की संरचना वर्षों से एक समान नहीं थी।

ऐसे उदाहरण पाए गए जहां विशेषज्ञ मूल्यांकन समितियों (ई.ए.सी.) ने मंजूरी दी, हालांकि परियोजना पर विचार-विमर्श के दौरान डोमेन विशेषज्ञ मौजूद नहीं थे। साथ ही, ऐसे मामले भी नोट किए गए जहां विचार-विमर्श के दौरान ई.ए.सी. के सदस्य कुल संख्या के आधे से भी कम थे क्योंकि ई.ए.सी. सदस्यों के लिए कोई निश्चित कोरम नहीं था।

कर्नाटक राज्य में एस.सी.जेड.एम.ए. का पुनर्गठन नहीं किया गया था और गोवा, ओडिशा और पश्चिम बंगाल राज्यों में पुनर्गठन में विलंब हुआ था। एस.सी.जेड.एम.ए. ने कोरम की

आवश्यकताओं को पूरा किए बिना बैठकें की और संबंधित हितधारक निकायों के प्रतिनिधित्व की भी कमी थी। कई राज्यों में एस.सी.जेड.एम.ए. के पास अपने जनादेश का पालन करने के लिए पर्याप्त श्रमशक्ति नहीं थी।

तमिलनाडु के डी.एल.सी. में स्थानीय पारंपरिक समुदायों की भागीदारी का अभाव था। आंध्र प्रदेश में, डी.एल.सी. की स्थापना ही नहीं की गई थी। गोवा में, डी.एल.सी. का गठन छह साल के विलंब के पश्चात् किया गया था। मार्च 2021 तक कर्नाटक के दो तटीय जिलों में डी.एल.सी. का पुनर्गठन किया जाना शेष है।

सी.आर.जेड. अधिसूचना के तहत परियोजना का अनुमोदन

परियोजनाओं को ई.आई.ए. प्रतिवेदनों में अपर्याप्तता के बावजूद अनुमोदित किया जाना जिसमें ई.आई.ए. प्रतिवेदन तैयार करने में शामिल सलाहकार की गैर-मान्यता, पुराने बेसलाइन डाटा का उपयोग, परियोजना के पर्यावरणीय प्रभावों का गैर-मूल्यांकन, जिन आपदाओं के प्रति परियोजना क्षेत्र प्रवण था, उनका उल्लेख नहीं किया जाना शामिल था।

शमन योजनाओं का हिस्सा बनने वाली गतिविधियां जैसे मैंग्रोव संरक्षण/पुनःवृक्षारोपण, जैव विविधता संरक्षण योजना, वर्षा जल संचयन योजना को पर्यावरण प्रबंधन योजनाओं में शामिल किए जाने में विफल रहा क्योंकि इसे परियोजना प्रस्तावक (पी.पी.) पर छोड़ दिया गया था।

हमने ऐसी परियोजनाओं को पाया जहां एम.ओ.ई.एफ. एवं सी.सी. परियोजना गतिविधियों के कारण संभावित पारिस्थितिक जोखिमों के संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी पर आश्रित था।

ऐसे उदाहरण पाए गए जहां एस.सी.जेड.एम.ए. ने संबंधित अधिकारियों को परियोजनाओं की सिफारिश करने के बजाय, स्वयं ही स्वीकृति प्रदान की। इसके अलावा, एस.सी.जेड.एम.ए. ने अनिवार्य दस्तावेज प्रस्तुत किए बिना कई परियोजनाओं की सिफारिश की थी।

सी.आर.जेड. अधिसूचना के अनुमोदन के बाद अनुवीक्षण तथा प्रवर्तन

ऐसे मामले पाए गए जहां परियोजना प्रस्तावक अनुमोदन लेने में उल्लिखित शर्तों का अनुपालन करने में विफल रहा एवं एम.ओ.ई.एफ. एवं सी.सी. के क्षेत्रीय कार्यालयों को अनिवार्य अर्धवार्षिक अनुपालन प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया। ऐसे मामले भी पाए गए थे जहां संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से कोई सी.टी.ई. या सी.टी.ओ. प्राप्त किए बिना परियोजनाएं शुरू हुई।

एस.सी.जेड.एम.ए. और डी.एल.सी. द्वारा सी.आर.जेड. प्रावधानों के प्रवर्तन की समीक्षा की गई और ऐसे उदाहरण पाए गए जहां एस.सी.जेड.एम.ए., सी.आर.जेड. उल्लंघनों के प्रति कार्रवाई करने में विफल रहे और डी.एल.सी. भी उल्लंघनों की पहचान करने और एस.सी.जेड.एम.ए. को इसको प्रतिवेदित करने में विफल रहे थे।

तटीय पारितंत्रों का संरक्षण

मन्नार द्वीप समूह की खाड़ी में जीवित प्रवाल आवरण की गंभीर कमी और गिरावट के बावजूद, तमिलनाडू के वन विभाग द्वारा आक्रमणशील प्रजातियों की वृद्धि को कम करने के लिए कोई व्यवहार्य कार्यनीती तैयार नहीं की गई। गोवा में प्रवाल भित्तियों के लिए निगरानी प्रणाली की अनुपस्थिति और कछुओं की नेस्टिंग साईट के लिए प्रबंधन योजना तैयार न करने जैसे मामले पाए गए। ऐसे उदाहरण थे जहां गोवा में तटीय रेत के टीलों के क्षेत्रों में आधारभूत संरचना के विकास जैसी निषिद्ध गतिविधियां पाई गई थीं। गोवा और गुजरात में मैंग्रोव के संरक्षण के प्रयासों में अंतराल पाया गया। ऐसे उदाहरण पाए गए जहां सीवेज उपचार संयंत्र या तो पूरी तरह से अनुपस्थित थे या बिना किसी निगरानी के सक्रिय थे जिससे तटीय जल में हानिकारक अपशिष्टों का निर्वहन हुआ।

एकीकृत तटीय क्षेत्र प्रबंधन परियोजना

हालांकि खतरा रेखा के मानचित्रण का पूरा काम अगस्त 2018 में पूरा कर लिया गया था, लेकिन एम.ओ.ई.एफ. एवं सी.सी. द्वारा अभी तक खतरा रेखा का आधारचिन्ह नहीं किया गया था। तटीय राज्यों द्वारा अहम रूप से संवेदनशील तटीय क्षेत्रों (सी.वी.सी.ए.) के लिए एकीकृत प्रबंधन योजनाएं (आई.एम.पी.) अभी तैयार की जानी थी। गुजरात में, परियोजना के तहत खरीदे गए उपकरणों का कम उपयोग किया गया था जिसके कारण कच्छ की खाड़ी के अंतर्ज्वारिय क्षेत्र की मिट्टी और पानी के भौतिक रासायनिक मापदंडों का अध्ययन नहीं किया गया था।

ओडिशा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (ओ.एस.पी.सी.बी.) द्वारा स्थापित तटीय पारितंत्र के प्रबंधन के लिए केंद्र में अपर्याप्त क्षमता निर्माण उपाय थे क्योंकि नमूनों के संग्रहण और विश्लेषण के लिए निर्धारित लक्ष्यों में अत्यधिक कमी थी। इसके अलावा केंद्र में श्रमशक्ति की कमी के कारण नमूनों के विश्लेषण के लिए खरीदे गए उपकरणों को संचालन नहीं हो रहा था।

गहिरमाथा अभ्यारण्य में प्रभावी समुद्री गश्त का उद्देश्य पूर्ण नहीं हुआ। 2016 में निर्मित ओडिशा के केंद्रपाड़ा जिले के दंगमल में एक शोध प्रयोगशाला को आज तक शूरु नहीं किया जा सका है।

सतत विकास लक्ष्य

सतत विकास लक्ष्स -14 के लिए तैयार किए गए हितधारक मानचित्र में भारतीय तटरक्षक और पत्र, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय जैसे कुछ महत्वपूर्ण हितधारक संगठनों की कमी है। महाराष्ट्र और केरल राज्यों द्वारा राज्य संकेतक रुपरेखा तैयार नहीं की गई थी। तटीय राज्यों ने राज्य विशिष्ट पर्यावरणीय पहलुओं के अनुरुप बनाये बिना एम.ओ.एस.पी.आई. द्वारा विकसित राष्ट्रीय संकेतकों को अपनाया था। इसके अलावा, जिला स्तर पर आगे स्थानीयकरण केवल कर्नाटक राज्य द्वारा जिला संकेतक रुपरेखा (डी.आई.एफ.) को अधिसूचित करके किया गया था।